संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापूर मंडल

मासिक बुलेटिन नं- 08 डिसेंबर 2018

****

‘निम्नलिखित 04 मामलें जिसमें फाटक वाले (गेट किपर) द्वारा सडक याता यात के लिए फाटक बंद न करते हुए स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर प्रदान किया गया’

****

सोलापूर मंडलपर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए है :-

1. दिनांक 26/05/2018 को 06:30 बजे जब बोसीएन लोड समपार फाटक क्र. 52 (इंजी फाटक) बेलापूर- चितली के बीच आ रही थी, तब लोको पायलट ने देखा कि सडक यातायात के लिए फाटक खुला है तथा उसने एमरजंसी ब्रेक लगाया जिससे लोको और दो वैगनों द्वारा फाटक पार करते हुए गाडी रुकी ।

कारण : फाटक बंद न करते हुए फाटक वाले द्वारा स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर को प्रदान किया गया ।

जिम्मेदारी : समपार फाटक क्र. 52 का फाटकवाला

2. दिनांक 02/06/2018 को 04:10 बजे जब गाडी क्र. 11039 एक्सप्रेस राहुरी- पढेगांव के बीच समपार फाटक क्र. 41 (इंजी. फाटक) के ओर आ रही थी तब लोको पायलेट ने देखा कि सडक यातायात के लिए फाटक खुला है तथा उसने एमरजंसी ब्रेक लगाए, परंतु गाडी फाटक पार करने के बाद रुकी ।

कारण : फाटक बंद न करते हुए फाटक वाले द्वारा स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर को प्रदान किया गया ।

जिम्मेदारी : समपार फाटक क्र. 41 का फाटकवाला

3. दिनांक 18/10/2018 को 07:10 बजे जब गाडी क्र. 22155 एक्सप्रेस पाकणी - मुंढेवाडी के बीच समपार फाटक क्र. 51 (इंजी फाटक) के ओर

आ रही थी तब लोको पायलेट ने देखा कि फाटक का एक साइड का बुम सडक यातायात के लिए खुला है ।

कारण : फाटक पुरी तरह से बंद है यह बिना सुनिश्चित किए, गेटकिपर द्वारा स्टेशन मास्टर को प्रायवेट नंबर प्रदान किया. ।

जिम्मेदारी : समपार फाटक क्र. 51 का फाटकवाला

4. दिनांक 02/12/2018 को 05:00 बजे जब गाडी क्र. 12130 एक्सप्रेस बेलापूर- चितली के बीच समपार फाटक क्र. 51 सी (इंजी फाटक) के ओर आ रही थी तब लोको पायलेट ने देखा कि सडक यातायात के लिए फाटक खुला है तथा उन्होन ब्रेक लगाया जिससे गाडी फाटक के बिल्कुल सामने रुकी।

कारण : फाटक बंद न करते हुए फाटक वाले द्वारा स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर प्रदान किया गया ।

जिम्मेदारी : समपार फाटक क्र. 51 सी का फाटकवाला

****

- उपर्युक्त सभी मामलों में फाटक वाले द्वारा स.नि. 16.03-2 (ख) (i) का उल्लंघन किया गया। ब्लॉक सेक्शन में प्रत्येक गाडी को प्रवेश करने की अनुमती देने से पहले स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमन (फाटक वाला) को टेलीफोन पर पुछा जाए कि क्या गाडी गुजरते समय सडक यातायात बंद करने हेतु फाटक बंद किया है ? फाटक वाले द्वारा सडक यातायात के लिए फाटक बंद करने और ब्लॉक करने का सुनिश्चित किए जाने के पश्चात बास्तविक रुप से यातायात के लिए फाटक बंद एवं ब्लॉक किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर दिया जाए ।
- यदि फाटकवाला फाटक सडक यातायात के लिए बंद और लॉक किए जानेका सुनिश्चित किए बिना स्टेशन मास्टर को प्रायवेट नं. देता है, तो उससे फाटक पर बडी दुर्घटना हो सकती है इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक रुपसे फाटक सड़क यातायात के लिए बंद तथा लॉक किया गया है । उसके बादही स्टेशन मास्टर को प्रायवेट नंबर दिया जाए

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, सोलापूर